कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी- 216 दिनांक: 26-7-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 23.वीं दिनांक 19/6/2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 23वीं दिनांक 19/7/2002 प्रात:/~~सायं~~ 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन...................,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 23वीं बैठक दिनांक 19-6-2002 में निम्नलिखित प्रकरण में भी विचार-विमर्श किया गया-

(1) विषयः- तोपखाना देश गृ.नि.स. समिति की योजना रामेश्वरधाम (जोन बी-3):-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये-

1. 130 फिट चौडी सैक्टर रोड की विभाजक पट्टी को सडक के केन्द्र बिन्दु से निर्धारित करते हुए स्थानान्तरित किया जावें।
2. 130 फिट चौडी सडक के दोनों तरफ की व्यावसायिक दुकानों का नियमन नहीं किया जावें। इस संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर राय दी जावेंगी।
3. इस योजना में समिति द्वारा अन्य स्थानों पर दुकानें सृजित की गयी है जिन्हें अनुमोदित नहीं किया जावें।
4. योजना में पूर्व की तरफ प्रवासी नगर के साथ लगते हुए ब्लौक में दुकानें सृजित की गयी थी लेकिन भूखण्डधारियों ने 2-2 दुकानें सम्मिलित कर आवासीय भूखण्ड में परिवर्तित कर लिया है जिसे लघु आवासीय भूखण्ड ही माना जावें क्योंकि इन भूखण्डों का क्षेत्रफल 45 वर्ग गज से 66 वर्ग गज है। लघु आवास मानते हुए सामने का सैट बैक 5 फिट रखा जावें।
5. योजना के उत्तर में सैक्टर प्लान के अनुसार 100 फिट चौडी सैक्टर रोड प्रस्तावित है जो कि मौके पर 60 फिट ही उपलब्ध है। इस संदर्भ में समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर राय दी जावेगी, तब तक इस सडक पर स्थित भूखण्डों के नियमितिकरण की कार्यवाही नहीं की जावें।
6. योजना के अंदर से गुजरने वाली 11 के.वी. विद्युत लाईन से प्रभावित होने वाले भूखण्डों का अनुमोदन नहीं किया जावें।
7. योजना में सभी आन्तरिक सडके 30 फिट रखी जावें।
8. योजना में जिस भूमि को लेकर विवाद है उसे विवादित भूमि दर्शाया जाकर अनुमोदन नहीं किया जावें।
9. योजना में भूखण्ड संख्या 171, 171ए व 171 ए के साथ में स्थित दुकाने 130 फिट चौडी सैक्टर रोड से प्रभावित होने के कारण अनुमोदित नहीं की जावें।

(2) विषयः- श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी की 903 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्य रूपान्तण बाबत(जोन बी-3) -:

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये-

1. भूखण्ड के सामने स्थित सीकर रोड़ की चौडाई वर्तमान में 150 फिट उपलब्ध है जो कि मास्टर प्लान 2011 के अनुसार 200 फिट निर्धारित है। अतः भूखण्ड में से 25 चौड़ी फिट भू पट्टी सीकर रोड़ के आर.ओ.डब्ल्यू. हेतु निःशुल्क समर्पित करवाई जावें।
2. उत्तर दिशा में 25 फिट चौडी रोड़ को 30 फिट करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड़ में से 2½ फिट चौडी भू-पट्टी सड़क क्षेत्र के लिए निःशुल्क समर्पित करवाई जावें।
3. शेष बचे भूखण्डों में से मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार 32 मीटर गहराई तक का भू उपयोग व्यावसायिक है एवं बचे हुए शेष हिस्से का भू उपयोग आवासीय है जिसे नियमानुसार आवेदक को परिवर्तित करवाया जाना होगा। भू उपयोग उपान्तरण के उपरान्त व्यावसायिक नियमन की कार्यवाही की जावें।
4. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ नियमन के समय जारी स्थल मानचित्र में भवन विनियम 2000 के अनुसार पैरामीटर दिये जावें।

(3) विषयः- भैरव गृ. नि. स. समिति की योजना लक्ष्मीनगर(जोन सी-1):-

सहायक नगर नियोजक जोन सी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना के 44 भूखण्ड़ मास्टर विकास योजना 2011 की प्रस्तावित 200 फिट चौडी सड़क से प्रभावित है। अतः समिति से योजना का संशोधन करवाया जावें।

(4) विषयः- भैरव गृ. नि. स. समिति की योजना जगदम्बा नगर(जोन सी-1):-

सहायक नगर नियोजक जोन सी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना में आवासीय क्षेत्रफल 75.83% है अतः सहकारी समिति से योजना मानचित्र आवासीय एवं सड़क/सुविधा क्षेत्र का अनुपात 60:40 रखवाते हुए संशोधित मानचित्र लिये जावें।

(5) विषयः- जय अम्बे गृ. नि. स. समिति की योजना जगदम्बा नगर (जोन सी-1):-

सहायक नगर नियोजक जोन सी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को स्थगित रखा जावें तथा योजना मानचित्र एवं प्रस्तुत एजेण्डा में आवासीय क्षेत्रफल में विरोधाभास है जिसकी जांच की जावें तथा भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले एजेण्ड़ा में उपायुक्त जोन द्वारा भी अपनी राय उल्लेखित की जावें।

(6) विषयः- गुलाबबाडी भवन गृ.नि.स. समिति की योजना बृजमण्ड़ल (जोन बी-7):-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये-

1. योजना में खसरा नंबर 379 व 383 का कुछ भाग पृथ्वीराज नगर योजना के अवाप्ति में है जिससे भूखण्ड सं0 159 से 166, 177 से 220 कुल 52 भूखण्ड़ पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से प्रभावित है इन भूखण्डों को अनुमोदित नहीं किया जावें।
2. भूखण्ड सं0 24 से 99, ई-1 से ई-20 (भूखण्ड सं0 ई-7 व ई-9 योजना मानचित्र में भूखण्ड नहीं है) कुल 95 भूखण्ड़ों के नियमन की कार्यवाही की जावें।
3. योजना के शेष बचे हुए भाग का संशोधन समिति के स्तर पर करवाई जावे यदि समिति द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जोन स्तर पर सुविधा क्षेत्रों को सृजित करते हुए संशोधित मानचित्र तैयार करवाई जावे तत्पश्चात् ही प्रकरण बीपीसी(ले आउट) के सामने प्रस्तुत किया जावें।

(7) विषयः- भैरव गृ. नि. स. समिति की योजना रामनगर(बी) (जोन बी-7):-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना का अनुमोदन जोन स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमे कुल 8 भूखण्ड़ों, भूखण्ड सं0 34, 37, 42, 43, 52, 53, 65 व 66 को सुविधा क्षेत्र में रखा गया था। इस योजना के भूखण्डधारियों द्वारा सुविधा क्षेत्र में रखे गये भूखण्डों को मुक्त किये जाने का निवेदन स्वीकार किया जाकर इन भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही की जावें।

(8) विषयः- म्युचुअल गृ. नि. स. समिति की योजना स्कीम नं0 10(बी) (जोन बी-7):-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों द्वारा योजना का मौका निरीक्षण कर राय दी जावेगी तत्पश्चात् ही योजना मानचित्र बीपीसी(ले आउट) के समक्ष प्रस्तुत की जावें।

(9) विषयः- मित्र गृ.नि.स. समिति की योजना वैशाली एनक्लेव (जोन बी-6):-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

(10) विषयः- निजी खातेदार की आवासीय योजना गिर्राज नगर (जोन पी.आर.एन.):-

वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन स्तर पर उपलब्ध कराये गये भू स्वामित्व सूचना एवं योजना मानचित्र से संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि पृथ्वीराज नगर के अवाप्ति क्षेत्र में नहीं आती है परन्तु पृथ्वीराज नगर योजना के प्रस्तावित क्षेत्र में आती है। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10-4-2002 को योजना के लिए

अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी जारी किया जा चुका है। विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये-

1. उत्तर दिशा में खसरा बाउण्ड्री से बाहर भूखण्ड सं0 16 एवं 17 का भाग आता है इस भाग को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
2. उत्तर दिशा में प्रस्तावित 30 फिट सड़क का कुछ भाग खसरा बाउण्ड्री से बाहर आता है तथा उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता जा रहा है जिसके मध्य से प्रस्तावित सड़क की चौडाई कुछ बिन्दुओं पर कम उपलब्ध होती है जिसके संदर्भ में योजना संशोधित की जाकर स्वीकृत की जावें।
3. भूखण्ड सं0 83 व 84 को पॉर्क क्षेत्र के अंतर्गत दिखाया जावें।
4. भूखण्ड सं0 17, 18, 37, 38, 39 जो सुविधा क्षेत्र से लगे हुए है उनको भी सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावें।

(11) विषय:- मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना हनुमान नगर विस्तार (जोन बी-6):-

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा भू स्वामित्व सूचना के संदर्भ में प्रपत्र 1अ में इकरारनामा से खरीदी गयी भूमि का क्षेत्रफल 200 बीघा दर्शाया है जबकि मौके के सर्वे के अनुसार यह क्षेत्रफल 222 बीघा के लगभग होता है जिसके संदर्भ में उनके द्वारा बताया गया कि यह सम्पूर्ण भूमि सवाई मानसिंह जी महाराज के खाते में अंकित है। कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम से प्रभावित है। इस प्रकार यह समस्त भूमि चाहे कय अनुबन्ध किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण होकर राज्य सरकार में निहित हो जाती है एवं इस प्रकार की भूमि के नियमन के लिए राज्य सरकार के द्वारा 180/- रूपये प्रति वर्ग गज की दर निर्धारित की गयी है। अत: इस प्रकार योजना की दोनों प्रकार की भूमियां एक ही प्रकार की मानी जाकर नियमन में कोई विपरीत स्थिति नहीं है तथा उसी के अनुरूप इसकी दर 180/- रूपये प्रति वर्गगज प्रस्तावित की गयी है जिसके कारण अनुबन्ध किया गया है अथवा नही इसकी कोई समस्या नहीं रह जाती है तथा मौके पर जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार ही योजना स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

1. <u>योजना की भूमि पूर्व नरेश के खाते में दर्ज होने के बारे में:-</u>
   योजना की समस्त भूमि सिलिंग कानून से प्रभावित होकर पूर्व नरेश के खाते में दर्ज है। इस समस्त भूमि के बारे में पूर्व में जिला कलक्टर के द्वारा सिलिंग के तहत अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे किन्तु रिकॉर्ड में अमल नहीं हो पाया एवं खातेदार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करने पर केश रिमान्ड किया जाकर कम्पन्सेशन कमिश्नर की अदालत में लौटाया गया जहां प्रकरण अभी भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि भूखण्डधारी व समिति सिलिंग अधिग्रहित भूमि की दर

180/- रू. प्रति वर्गगज से नियमन राशि जमा कराते है तो यह भूखण्डधारियों, राज्य सरकार व प्राधिकरण के हित में होगा तथा ऐसा करने से मुकदमें का वाद कारण ही समाप्त हो जायेगा। अतः यदि 180/- रू. प्रति वर्गगज की दर से नियमन राशि जमा कराई जाती है तो नियमन में कोई कठिनाई नहीं है।

2. योजना की 123 बीघा 14 बिस्वा भूमि पृथ्वीराज नगर योजना हेतु अवाप्ताधीन होने के बारे में:-

इस योजना की 123 बीघा 14 बिस्वा भूमि पृथ्वीराज नगर योजना में अवाप्ताधीन है किन्तु अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ से ही दुषित होकर शुन्य है क्योंकि इस योजना से संबंधित खसरा नम्बरों का उल्लेख धारा 4 की विज्ञप्ति में नहीं था एवं सीधे ही धारा 6 की विज्ञप्ति में कर दिया गया जो कानून सम्मत नहीं था। यह भूमि पी. आर.एन. योजना से, अजमेर रोड़ से सीकर रोड़ तक बाईपास बन जाने से अलग हो गई है एवं मौके पर काफी मात्रा में मकान आदि बन चुके है तथा प्राधिकरण की अन्य कोई योजना इस भूमि के लिए नहीं है। अतः इस हनुमान नगर विस्तार हेतु उनके द्वारा नियोजित भूखण्डों का नियमन नियमानुसार किया जावें।

3. खसरा नंबर 42 के बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन वाद के बारे में:-

खसरा नं0 42 में स्थित भूखण्ड सं0 410 व 411 के बारे में 2 व्यक्तियों में आपसी विवाद होने के कारण प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्राधिकरण पक्षकार नहीं है। दोनों व्यक्तियों को मौके की यथास्थिति रखने हेतु न्यायालय ने पाबन्द किया है। अतः इन 2 भूखण्डों का पट्टा न्यायालय के निर्णय अनुसार दिया जावें। योजना में यह वाद अन्य किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है।

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि योजना की भूमि खसरा नंबर 52 से 69 पृथ्वीराज नगर की अवाप्ति में है जिसका कागजी कब्जा दिनांक 24-11-93 को लिया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय का स्थगत होने के कारण अवार्ड पारित नहीं होने से मुआवजा राशि का भुगतान नही हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारित न करने एवं बेदखल न करने बाबत स्थगन है।

इन तथ्यों के परिपेक्ष्य में उपायुक्त द्वारा कहा गया कि प्रशासनिक दृष्टि से मौके पर उपलब्ध योजना के क्षेत्रफल जो 6,72,977.31 वर्ग गज होता है पर योजना स्वीकृत करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इसके अलावा आवासीय क्षेत्रफल का प्रतिशत 59.91 ही प्रस्तावित किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार-विमर्श कर योजना 222 बीघा भूमि पर ही स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि योजना में सहकारी समिति द्वारा खुले क्षेत्र में केवल पॉर्क ही दशाये गये है तथा फैसिलिटी एरिया का उल्लेख नहीं किया गया है। इतनी बडी योजना

में विभिन्न उपयोग का समावेश करना भी आवश्यक है जिसके लिए निर्णय लिया गया की भूखण्ड सं0 473 से 480 के उत्तर दिशा में पॉर्क की भूमि को फैसिलिटी एरिया दर्शाया जाये तथा इसकी भूमि को गर्ल्स कॉलेज के लिए आरक्षित किया जाये। भूखण्ड सं0 527 से 531 एवं 492 व 539 भूखण्ड के उत्तर दिशा में दर्शाया गये पॉर्क को भी फैसिलिटी एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाये एवं इसके अलावा भूखण्ड सं0 133 से 136 के उत्तर दिशा में उल्लेखित खुले क्षेत्र(पॉर्क) को भी सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जाये। योजना में शेष प्रस्तावित पॉर्क क्षेत्र को यथावत रखा जाये। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जोन स्तर पर एजेण्डा के साथ संलग्न किये गये यू. ओ.नोट में प्रस्तावित अन्य उपयोग जैसे- पेट्रोल पम्प, व्यावसायिक केन्द्र, क्लब हाउस इत्यादि आरक्षित किये गये फैसिलिटी एरिया क्षेत्र में नियोजित तरीके से अंकित किया जाये।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में उल्लेख किया गया है कि भूखण्ड सं0 373, 372, 410, 411, 412, 413, 414, 393, 420, 421, 435, 278, 277, 437, 455, 629, 628, 627, 618, 276, 266, 250, 249, 244, 245, 228, 16, 17, 18, 78, 79, 206, 226, 266, 409, 438, 456 एच.टी लाईन से प्रभावित है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि कितनी क्षमता की एच.टी. लाईन गुजर रही है। अत: पूर्व में लिये गये निर्णयों के अनुरूप विभिन्न क्षमताओं की एच.टी. लाईन के लिए जो निर्णय लिया गया है उसके अनुरूप ही कार्यवाही की जाये तथा जो भूखण्ड एच.टी. लाईन से प्रभावित होते है उनका नियमन नहीं किया जाये।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 23वीं बैठक दिनांक 19-6-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- श्रीमति शान्ती पगारिया पत्नी श्री बी.एल.पगारिया के भू.सं. 56, केशव नगर हवा सड़क को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन A-1 :

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। यह भूखण्ड हवा सड़क पर स्थित है तथा स्वीकृत योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र हेतु दर्शाया हुआ है। इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने भू.सं. 56 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त न करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया कि उपायुक्त इस भूखण्ड को नीलाम करने की कार्यवाही करें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..23वीं....बैठक दिनांक.19-6-02....

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- गांधी नगर गृ०नि०स०स० की योजना कस्तूरबा नगर के भू०सं० 151 से 154 व 154 के पश्चिम के दो भूखंड (अंकित नहीं) को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोन - B-5

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्वीकृत योजना में भूखंड संख्या 151 से 154 व 154 के पश्चिम के दो भूखण्ड स्वीकृत योजना से सुविधा क्षेत्र में दर्शाये गये थे। समिति ने इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में वाद संख्या 40/2001 स्थानीय समझौता समिति जयपुर विकास प्राधिकरण के यहां दर्ज किया था। समझौता समिति ने दिनांक 8-2-2002 को निर्णय दिया कि भूखंड संख्या 151 से 156 को सुविधा क्षेत्र घोषित किया जाना सर्वथा अनुचित है। इसलिए समझौता समिति ने इन भूखंडों का नियमन कर लीज डीड जारी करने के संबंध में निर्णय दिया है, साथ ही शर्त यह भी है कि मौके पर भूखण्ड संख्या 156 के उत्तर की ओर जो सड़क पर स्थित मन्दिर है, को यथावत रखते हुए सड़क की चौड़ाई 30-0" रखी जावे। जिसके कारण खातेदार द्वारा सड़क में आने वाली भूमि को निःशुल्क जविप्रा को समर्पित की जावेगी।

स्थानीय समझौता समिति के उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि भूखंड संख्या 151 से 154 व 154 के पश्चिम के दो भूखंडों का एजेण्डा के साथ संलग्न स्केच के अनुसार भूखण्ड मन्दिर क्षेत्र को शामिल करते हुए स्वीकृत किया जावे।

(हस्ताक्षर)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...23वीं...बैठक दिनांक...19-6-02... का कार्यवाही विवरण।

विषय:- अरविन्द नगर गृ०नि०स०स० की योजना शिवशक्ति नगर के सुविधा क्षेत्र से भू.सं. 20, 114 व 12 दुकानों को मुक्त किए जाने के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-5...) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने योजना का मौका निरीक्षण करना चाहा। विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..23वीं....बैठक दिनांक..19-6-02.......
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- तोपखाना देश गृ0नि0स0स0 की योजना माथुर वैश्य नगर द्वितीय टोंक रोड़ में भू.सं. 79 व 80 को योजना में शामिल किए जाने के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोन- B-4

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त जोन ने बताया यह भूखण्ड सरकारी भूमि में स्थित नहीं है। सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भू.सं. 79 व 80 शामिल है, किन्तु निजी आर्किटेक्ट द्वारा योजना का सर्वे किया गया जिसमें यह भूखण्ड शामिल किए जाने से रह गये है। समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि टोंक रोड़ पर स्थित भूखण्ड को टोंक रोड़ के केन्द्र बिन्दु से 80 फीट छोड़ते हुए तथा पीछे के भूखण्ड़ के सामने 30-0" चौड़ी सड़क रखते हुए योजना में इन भूखण्डों को शामिल किया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की....23वीं..बैठक दिनांक...19-6-02
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- जय अम्बे गृ०नि०स०स० की योजना जय अम्बे कॉलोनी के भू०सं० 41सी के नियमन के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....A-1..) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मौके की स्थिति के अनुसार भू०सं० 41 का हिस्सा सड़क में आ रहा है । इसलिए विचार विमर्श पश्चात् भू०सं० 41 सी का नियमन नहीं करने के संबंध में निर्णय लिया गया तथा इस सड़क के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में भी निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..23वीं.....बैठक दिनांक.19-6-02...............

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- माधव नगर गृ0नि0स0स0 की योजना प्रेम नगर के भू.सं. 2 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :

2. योजना का नाम :

3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :

4. सैक्टर नंबर :

जोन B-5

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भू.सं. 1 व दुकान पर पहले चार दीवारी का निर्माण करने व जे.डी.ए के बोर्ड लगाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें ।

[signature]

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..23वीं....बैठक दिनांक...19-6-02...

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- दो वाल्मिकी गृ०नि०स०स० की योजना सोतबाड़ी के भू.सं. 45 के मौके की स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल के नियमन के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-4...) कमेटी की बैठक दिनांक...........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्ड़ा प्रस्तुत किया गया । जोन द्वारा भिजवायें गये एजेण्ड़ा के अनुसार भू.सं. 45 का साइट प्लान के अनुसार क्षेत्रफल 216.47 व.ग. है, आवंटन पत्र के अनुसार क्षेत्रफल 200.00 व.ग. व मौके के अनुसार 306.25 व.ग. है । विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि आवंटन क्षेत्रों के अलावा शेष क्षेत्र को अतिरिक्त भू-पट्टी मानते हुए नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 23वीं बैठक दिनांक 19-6-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- भू.सं. 155 शान्ति नगर छत्रपति शिवाजी गृ0नि0स0स0 के शेष भाग को नियमन करने हेतु ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोन B-5

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । उपायुक्त जोन ने समिति को बताया कि भू.सं. 135 से 138 व 156 को पूर्व की बी.पी.सी की बैठक दिनांक 22-2-95 के निर्णयानुसार सरकारी भूमि करते हुए नियमन राशि ली जाकर नियमन किया गया था । चूंकि भू.सं. 155 का 63.33 व.ग. क्षेत्र ही सरकारी भूमि में है । इसलिए विचार विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र को नियमानुसार नियमन राशि ली जाकर नियमन कर दिया जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..23वीं....बैठक दिनांक.19-6-02...

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- कृष्णापुरी गृ0नि0स0स0 की योजना बृजलालपुरा के बाढ़ प्रभावित भूखण्डों को अनुमोदित करने के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :

2. योजना का नाम :

3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :

4. सैक्टर नंबर :

जो-1 B-5

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। एजेण्डा के साथ उपायुक्त बी-1, जोनल अभियन्ता व सहायक नगर नियोजक की संयुक्त रिपोर्ट संलग्न की है, जिसके अनुसार भूखण्ड संख्या 15, 15ए, 16, 24, 25, 26ए, 26, 27, 28, 28ए, 30, 30ए बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में नहीं है। इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने इन भूखण्डों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.23वीं.....बैठक दिनांक....19-6-02.

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- तोपखाना देश गृ०नि०स०स० की योजना कनिष्ठ कॉलोनी के भू.सं. 4 के दक्षिण की सड़क की चौड़ाई 11-0" तथा भू.सं. 4 से 7 व 8 से 13 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 21-0" करने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-4...) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भूखण्डधारियों द्वारा सड़क की चौड़ाई कम करने के लिए जो आवेदन किया है उसको निरस्त किया जावें एवं सड़क की चौड़ाई स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही रखी जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 23वीं बैठक दिनांक 19-6-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- सुभाष सिन्धी गृ०नि०स०स० की योजना स्कीम नं० 6 जय अम्बे नगर के भू०सं० बी-14, बी-19, व ए-30 के नियमन के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या A-1) कमेटी की बैठक दिनांक.......................... में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। मौके की रिपोर्ट के अनुसार तीनों भूखण्डों में सामने के सैट बैक में दुकानें निर्मित है। इसलिए इन भूखण्डधारियों को सामने के सैट बैक में स्थित दुकानों को हटाने के सम्बन्ध में जोन द्वारा लिखा जावें तथा हटाने के पश्चात् प्रकरण को भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...23वीं...बैठक दिनांक..19-6-02..............

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- पथिक भवन गृ0नि0स0स0 की योजना ।0बी के लो लाइंग क्षेत्र में प्रभावित भूखण्डों के स्वीकृत के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोन B-5

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 23-3-02 में समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया था । उपायुक्त जोन द्वारा समिति के सदस्यों को मौका दिखाया गया । स्थल निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण को इस बैठक में विचारार्थ रखा गया । समिति के सदस्यों ने बैठक में बताया कि पक्का नाला निर्मित होने के कारण भू.सं. 282सी,283,283ए,283बी,283सी,287,288, 289,289ए,289बी,290,310,311,48,49,50,284,व285,लो लाइंग क्षेत्र में प्रभावित नहीं है । इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् इन भूखण्डों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...23वीं...बैठक दिनांक.19-6-02.....

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- भू.सं. 140 व 141 को योजना श्रीपुरम. अम्बेश्वर गृ0नि0स0स0 को पैरीफेरी एरिया से मुक्त करने के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :
जोन - B-5

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि इस ब्लॉक के भूखण्डों के क्षेत्रफल को कम करते हुए सुविधा क्षेत्र दर्शाते हुए संशोधन कर समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...23वीं...बैठक दिनांक...19-6-02...

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- भू.सं. 170 श्रीपुरम नगर (अम्बेश्वर) गृ०नि०स०स० को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोन - B-5

प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया । उपरोक्त जोन के एजेण्डानुसार मौके पर एक कमरा व चार दिवारी बनी हुई है । तथा भूखण्डधारी मौके पर निवास कर रहा है तथा पानी का कनेक्शन भी है । विचार-विमर्श पश्चात् भू.सं. 170 श्री पुरम नगर को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया ।

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 23वीं बैठक दिनांक 19-7-2002 को प्रात: 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई,जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक — सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य — सदस्य
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
4. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) — सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
2. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
4. श्री विजयपाल सिंह, उपायुक्त जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर।
5. श्री श्रीपाल शर्मा, उपायुक्त जोन बी-6, जविप्रा,जयपुर।
6. श्री हनुमान सिंह शेखावत,उपायुक्त जोन बी-7, जविप्रा,जयपुर।
7. श्री पी.सी. गुप्ता, उपायुक्त जोन सी-3, जविप्रा,जयपुर।
8. श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री श्रीनाथ, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर।